भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2828

18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: काजू उत्पादकता संवर्धन कार्यक्रम

2828. श्री कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार काजू के आर्थिक महत्व को देखते हुए दक्षिण गोवा के विशेषकर संगुएम, क्यूपेम और कैनाकोन जैसे तालुकों में काजू उत्पादकता संवर्धन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत आवंटित की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गोवा के काजू उत्पादन में मूल्यवर्धन करने के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु कोई वित्तीय प्रोत्साहन अथवा प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-15 से बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमे फल, सब्जियां, कंद और मूल वाली फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू और कोको शामिल है। गोवा सहित सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र एमआईडीएच योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

काजू के क्षेत्र विस्तार के लिए लागत मानदंड और सहायता के पैटर्न का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। एमआईडीएच के अंतर्गत काजू के विकास के लिए कार्यक्रम काजू और कोको विकास निदेशालय (डीसीसीडी), कोच्चि के माध्यम से भी कार्यान्वित किए जाते हैं। यह निदेशालय, उच्च उपज वाली किस्मों का उपयोग करके, नए रोपण कार्यक्रम के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। वर्ष 2024-25 मे 90 हेक्टेयर (नए) और 88 हेक्टेयर (पिछले वर्ष का रखरखाव) क्षेत्रफल दक्षिण गोवा मे 14.34 लाख रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ आच्छादित किया गया हैं, तथापि वर्ष

2021-22 से 2023-24 के दौरान काजू के उत्पादन में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य बागवानी मिशन, गोवा को आवंटित धन का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है ।

अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी)/ जनजाति उपयोजना (टीएसपी) कार्यक्रमों के अंतर्गत अखिल भारतीय काजू समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - काजू अनुसंधान निदेशालय, पुत्तूर दक्षिण गोवा में, गोवा में जारी काजू की किस्मों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। काजू को बढ़ावा देने के लिए कैनाकोना तालुका के गाओंडोंगरीम और सटोरलिम गांवों में फ्रंटलाइन प्रदर्शनों (एफएलडी) को सहायता प्रदान और निगरानी की जा रही है ।

(ग) और (घ): काजू सहित बागवानी फसलों के मूल्य संवर्धन के लिए न्यूनतम प्रोसेसिंग यूनिट और द्वितीयक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए लागत मानदंडों और सहायता के पैटर्न का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

वस्तु	लागत मानदंड*	सहायता का पैटर्न#
वृक्षारोपण फसलें (प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए)। घटक को ड्रिप के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, यदि ड्रिप को एमआईडीएच योजना के तहत प्रस्तावित नहीं किया गया है, तो इसे अन्य योजना के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।		
काजू		
(क) ड्रिप सिंचाई के बिना (i)नियमित अंतराल (ड्रिप, अन्य सभी योजनाओं के साथ अभिसरित होना चाहिए)	75,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर	सामान्य क्षेत्रों में 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर 40% की दर से सहायता दी जाएगी, ताकि रोपण सामग्री और अन्य इनपुट लागत पर व्यय को 60:40 के अनुपात में 2 किस्तों में पूरा किया जा सके, जो दूसरे वर्ष में उत्तरजीविता की दर 80% होगी। पूर्वोत्तर (एनई) और हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गांवों, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के मामले में, आनुपातिक आधार पर 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए 50% की दर से सहायता दी जाएगी।
(ii) अंतरफसल सहित	50,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर	सामान्य क्षेत्रों में 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर 40% की दर से सहायता दी जाएगी, ताकि दूसरे वर्ष में 80% की उत्तरजीविता दर के अधीन 60:40 के अनुपात में 2 किस्तों में रोपण सामग्री और अन्य इनपुट लागत पर व्यय को पूरा किया जा सके। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गांवों, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के मामले में, आनुपातिक आधार पर 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए 50% की दर से सहायता दी जाएगी।
(iii) उच्च घनत्व (न्यूनतम 400 प्रति हेक्टेयर पौधे) (केवल काजू)	1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर	सामान्य क्षेत्रों में 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर 40% की दर से सहायता दी जाएगी, ताकि दूसरे वर्ष में 80% की उत्तरजीविता दर के अधीन 60:40 के अनुपात में 2 किस्तों में रोपण सामग्री और अन्य इनपुट लागत पर व्यय को पूरा किया जा सके। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गांवों, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के मामले में, आनुपातिक आधार पर 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए 50% की दर से सहायता दी जाएगी।
(ख) ड्रिप सिंचाई सहित	पीडीएमसी मानदंडों के अनुसार	मूल लागत के अतिरिक्त, अर्थात ऊपर उल्लिखित ड्रिप सिंचाई के बिना, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए सहायता, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गांवों, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह सहित सभी राज्यों को प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) मानदंडों के अनुसार उपलब्ध होगी।

<u>अनुलग्नक-II</u>

काजू उत्पादन में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य बागवानी मिशन, गोवा को आवंटित धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है :-

(रुपये लाख में)

वर्ष	**काजू के बागान और रखरखाव के लिए धनराशि आवंटित**
2021-22	27.59
2022-23	35.75
2023-24	35.95

<u>अनुलग्नक-III</u>

वस्तु	लागत मानदंड*	सहायता का पैटर्न#
प्राथमिक/ न्यूनतम प्रोसेसिंग यूनिट (इस घटक को केवल एमआईडीएच योजना के अन्य घटकों के साथ एकीकृत माना जाएगा)	35.00 लाख रुपए/ इकाई	सामान्य क्षेत्रों में 35% की दर से ऋण संबद्ध बैक-एंडेड सहायता तथा पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गांवों, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के मामले में 50% की दर से ऋण संबद्ध बैक-एंडेड सहायता।
मूल्य संवर्धन के लिए द्वितीयक प्रोसेसिंग यूनिट	100 लाख रुपए/ इकाई	सामान्य क्षेत्रों में 35% की दर से सहायता तथा पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गांवों, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के मामले में 50% की दर से सहायता।

*****